

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक/8622/छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2025 रायपुर,

दिनांक 16/10/2025

प्रवेश वर्ष 2025 के NEET UG (MBBS & BDS) पाठ्यक्रम की तृतीय चरण काउंसिलिंग हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए संस्था चयन हेतु तिथि वृद्धि संबंधी सूचना

चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा दिनांक 13.10.2025 को सभी राज्यों के एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. प्रवेश वर्ष 2025 की काउंसिलिंग हेतु संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। उक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुक्रम में, कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा पूर्व में जारी सूचना क्रमांक/8595/छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2025 रायपुर, दिनांक 09.10.2025 के माध्यम से तृतीय चरण काउंसिलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13.10.2025 तक एवं पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा संस्था चयन की अंतिम तिथि 14.10.2025 तक निर्धारित की गई थी।

उक्त तिथियों में संशोधन करते हुए, तिथि वृद्धि निम्न तालिका अनुसार की जाती है।


तृतीय चरण की काउंसिलिंग हेतु संशोधित समय-सारिणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	संशोधित अंतिम तिथि एवं समय
1	ऑनलाईन आवेदन करने हेतु तिथि	दिनांक 16 अक्टूबर 2025, समय Server Time 01:00 Hrs (01:00 PM) से दिनांक 17 अक्टूबर 2025, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक
2	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग हेतु तिथि (Choice Filling and Locking)	दिनांक 16 अक्टूबर 2025, समय Server Time 01:00 Hrs (01:00 PM) से दिनांक 23 अक्टूबर 2025, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक

नोट:- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा जारी पत्र क्रमांक NMC/UG/Approval/2025-26/54, दिनांक 26.09.2025 के माध्यम से श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, रायपुर (SRSMISR) को शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु 100 एम.बी.बी.एस. सीटों की स्वीकृति मिलने एवं उक्त संस्था की सीटों को मॉप-अप राउंड में सम्मिलित किए जाने के कारण, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पूर्व से आवंटित, परंतु अप्रवेशित अभ्यर्थियों तथा स्क्रूटनी हेतु अनुपस्थित अभ्यर्थियों को मॉप-अप राउंड की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

अतः समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे संशोधित समय-सारिणी एवं पात्रता के अनुसार तृतीय चरण की काउंसिलिंग हेतु प्रक्रिया पूर्ण करें।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा